

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांक:एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/

दिनांक: 16/02/2015

जिला कलक्टर  
समस्त, राजस्थान।


विषय:- ई-मित्र कियोस्कों द्वारा भामाशाह नामांकन शिविर आयोजन के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह नामांकन शिविरों के दौरान नामांकित परिवारों के शेष रहे सदस्यों तथा ऐसे परिवार जिनका भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है, उनके नामांकन हेतु राज्य के सभी ई-मित्र केन्द्रों को परिपत्र दिनांक 23.12.2014 के द्वारा स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित किया गया है। जिले में अधिकाधिक भामाशाह नामांकन कवरेज करने के दृष्टिगत इच्छुक ई-मित्र केन्द्रों को स्थानीय स्थान या अन्य स्थान/केन्द्र पर शिविर के रूप में भी नामांकन हेतु उपयोग किया जा सकता है।

इन ई-मित्र केन्द्रों द्वारा शिविर में लगाई जाने वाली मशीनों की संख्या के आधार पर इन्हें राजकीय भवन/स्थान शिविर हेतु आवंटित किया जा सकता है तथा शिविर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सत्यापक व प्रभारी अधिकारी लगाए जाएं। ताकि इन केन्द्रों के माध्यम से अधिकाधिक नामांकन करवाया जा सके।

भवदीय

  
(अखिल अरोरा)  
शासन सचिव

क्रमांक:एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/

दिनांक: 16/02/2015

प्रतिलिपि:

1. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर.....।
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....।
3. एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला.....।
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी.....।

  
(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग